न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. – 11/2024
जीसीएम एस संख्या – (2024/70)

निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगणः–

1. कंवराज सिंह पुत्र नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सोमेसर पदमपुरा जैतसर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।
2. निशार खां पुत्र कमे खां
3. कमे खां पुत्र चानण खां
4. समीर खां पुत्र कमे खां जातियान मुसलमान निवासी पदमपुरा (सोमेसर) जैतसर, तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. अध्यक्ष बाबा रामदेव सेवा समिति सोमेसर जरिए गणपतराम पुत्र जगुराम जाति मेघवाल निवासी सोमेसर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत सोमेसर जरिए सरपंच ग्राम पंचायत सोमेसर पंचायत समिति शेरगढ़ जिला जोधपुर।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति शेरगढ़ जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.12.2010 पट्टा संख्या 40, बुक संख्या 29, मिसल संख्या 72, दायरा दिनांक 05.05.2010 संकल्प संख्या 08, ग्राम पंचायत सोमेसर के सरपंच द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को जारी किया गया, को निरस्त करने हेतु।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री नाहर सिंह सोलंकी, श्री पुष्पेन्द्र सिंह सोलंकी (प्रार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री के.के. गोयल, श्री दिनेश सरगरा (अप्रार्थी संख्या 1)।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक : 11.12.2024

प्रार्थीपक्ष ने यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 40, बुक संख्या 29, मिसल

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

संख्या 72, दायरा दिनांक 05.05.2010 संकल्प संख्या 08, आदेश दिनांक 28.12.2010 जो ग्राम पंचायत सोमेसर के सरपंच द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 अध्यक्ष बाबा रामदेव समिति सोमेसर को जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा अप्रार्थीगण से विधिवत् तामिल होकर नोटिस प्राप्त हुए। न्यायालय के पत्र क्रमांक 528 दिनांक 30.11.2022 द्वारा ग्राम पंचायत सोमेसर से मूल अभिलेख तलब किया जाने पर ग्राम विकास अधिकारी ने कार्यालय ग्राम पंचायत सोमेसर पंचायत समिति शेरगढ़ जरिये पत्र क्रमांक 104 दिनांक 19.12.2022 द्वारा पट्टा संख्या 40 दिनांक 28.12.2010 मिसल संख्या 72/2010 से संबंधित दस्तावेज/मूल अभिलेख ग्राम पंचायत सोमेसर में उपलब्ध नहीं होना जाहीर किया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री के.के.गोयल ने वकालतनामा पेश किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 13.11.2024 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नाहर सिहं सोलंकी ने निगरानी पिटिशन में वर्णित तथ्यों/अभिकथनों को दौहराते हुए कथन किया कि बाबा रामदेव सेवा समिति के नाम से ना तो कोई समिति है और ना ही किसी प्रकार की रजिस्टर्ड संस्था या समिति है और न ही वह अस्तित्व में है और ना ही अप्रार्थी गणपतराम का अध्यक्ष होने का दस्तावेज है। सोसायटी का कोई रिकार्ड ही नहीं है। फिर भी पूर्व सरपंच आवड़दान द्वारा दिनांक 28.12.2010 विवादग्रस्त पट्टा जारी किया गया है। विकास अधिकारी शेरगढ़ ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 25.11.2020 में स्पष्ट किया है कि पट्टा संख्या 40 का रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है तथा न ही इसकी प्रति पंचायत समिति में उपलब्ध है। इस फर्जीवाड़ा की शिकायत पुलिस में दर्ज हुई है। ग्राम सोमेसर की आबादी भूमि में पट्टे दिए जा चुके है तथा पट्टे जारी करने हेतु आबादी भूमि उपलब्ध ही नहीं है।

पूर्व सरपंच आवड़दान ने कई फर्जी पट्टे जारी किए है। इस बाबत इसी न्यायालय द्वारा निगरानी संख्या 38/2020 मोती सिंह बनाम गुड्डी कंवर का पट्टा दिनांक 25.05.2022 को खारिज किया है जिसकी प्रति मेरे द्वारा पेश की है। निगरानीकार द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जवाब, विकास अधिकारी द्वारा पुलिस थाना के अनुसंधान में मांगी गई सूचना का जवाब, निगरानीकार कंवराज सिंह के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी N.O.C. दिनांक 31.03.1990 को गिरधारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सिंह के पक्ष में जारी पट्टा, पट्टा सख्ंया 40 (चून भारती के नाम) की नकल, राम सिंह द्वारा कायम खां के पक्ष में लिखा इकरारनामा, गिरधारी सिंह द्वारा लिखा इकरारनामा इत्यादि अभिलेखों से यह साबित है कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी एक के पक्ष में कोई पट्टा वास्तव में जारी नहीं किया है। आवड़दान ने अपने स्तर से ही बिना ग्राम पंचायत की विधिवत् कार्यवाही से अप्रार्थी के पक्ष में बहुत बड़े भूखण्ड का फर्जी तरीके से पट्टा जारी किया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत ने इस न्यायालय को रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी के नाम से जारी पट्टे बाबत किसी प्रकार का अभिलेख उनके कार्यालयों में उपलब्ध नहीं है।

पुलिस में पंचायत का रिकार्ड चोरी होने की (FIR-97/2019) रिपोर्ट दिनांक 13.06.2019 मात्र दिखावा है इसमे कौन–कौन सा रिकार्ड जला, इसकी कोई विस्तृत विगत अंकित नहीं है। अप्रार्थी ने अपने प्रत्युतर में अपने पक्ष में ग्राम पंचायत की अभिरक्षा से संबंधित पट्टे का कोई अभिलेख सबूत के रूप में यहां पर पेश नहीं किया है तथा जो भी जवाब व दस्तावेज पेश किए है वे प्रकरण से असंगत है।

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री के.के.गोयल ने लिखित के जवाब में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीकार कंवराज सिंह के पक्ष में ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा जारी पट्टा रिकार्ड पर नहीं है। निगरानीकार का कोई Locus Standi नहीं है जिस इकरारनामा के जरिए वह भूमि खरीदना बताता है वह रजिस्टर्ड नहीं है तथा कानूनी रूप से ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज से उसे कोई टाईटल प्राप्त नहीं होता है। अपने कथनों के समर्थन में Suraj Lamp Industries vs State of Haryana AIR 2012 S.C. 206 की नजीर पेश करते हुए तर्क दिया कि ऐसा दस्तावेज विधि की नजर में शून्य है तथा गिरधारी सिंह को जिस जगह पट्टा संख्या 36 जारी हुआ है वह आबादी भूमि में नहीं है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 15.02.2018 को इसकी पत्र से पुष्टि की है। इसी प्रकार निगरानीकार निशार खां, कमे खां व समीर खां के पक्ष में कोई पट्टा जारी नहीं हुआ है। ऐसा पंचायत कह रही है। इनका कथन है कि निगरानी के पैरा संख्या तीन व पांच में अंकित कथन विरोधाभासी है। पैरा संख्या तीन में पट्टा संख्या 40 दिनांक 28.12.2010 को चून भारती के नाम जारी होना सही बताते है तथा पैरा संख्या पांच में कथन करते है कि ग्राम पंचायत ने वर्ष 2007 से मार्च 2013 तक कोई पट्टा ही जारी नहीं किया है। इसी तरह, ग्राम विकास

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अधिकारी व वर्तमान सरपंच भी यही कह रहे, तो चून भारती का पट्टा संख्या 40 दिनांक 28.12.2010 को सही किस आधार पर बता रहे है।

उक्त बहस के प्रत्युतर में निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि समिति का पंजीयन होना आवश्यक नहीं है। समिति वास्तव में अस्तित्व में है।

ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा मंदिर के पक्ष में दिनांक 05.10.2024 को जारी प्रमाण पत्र, कार्यकारिणी/मंदिर अस्तित्व के समर्थन में निष्पादित शपथ पत्र श्री रावलराम, मालाराम, हीराराम, दुर्गाराम, पन्नाराम, मांगाराम, मगाराम, रतनाराम, किशनाराम, सगताराम, पेश किए है। भौतिक संरचना मंदिर के समर्थन में फोटोग्राफस भी पत्रावली पर है। बाबा रामदेव मंदिर में संधारित कार्यवाही विवरण रजिस्टर की प्रतियां, मंदिर के नाम थार आंचलिक बैंक में व एमजीबी में संचालित बैंक खाता की प्रतियां, पट्टा नवीनीकरण की रसीद 23.02.2018, ठेका रसीद संख्या 192, 9749, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 97/2019 से प्रमाणित है कि अप्रार्थी एक के नाम से संस्था अस्तित्व में हैं तथा सकिय रूप से कार्यरत है। हमारे पट्टे से संबंधित रिकार्ड चोरी होने की पुलिस की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रिकार्ड चोरी हो गया है। रिकार्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं होने के कारण ही अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा निरस्त करना न्यायोचित नहीं है।

प्रार्थी जिनसे प्लाट खरीदने की बात कर रहे है वह कथन झूठे है क्योंकि निगरानी के पैरा संख्या 5 व ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार 2007 से 2013 की अवधि में कोई पट्टा ही जारी नहीं हुआ है। चून भारती को भी 28.12.2010 पट्टा संख्या 40 जारी करना बता रहे है तो उसका रिकार्ड भी पेश नहीं किया। चून भारती व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम एक ही तारीख 28.12.2010 को एक नम्बर 40 से पट्टा जारी होना कथन कर रहे है। निगरानीकार अपनी भूमि के जो हदुद बता रहे है वे हमारी भूमि से मेल नहीं खा रहे है। निगरानीकार को अप्रार्थी संख्या 1 के पट्टे से कोई कानूनी क्षति कारित नहीं हुई हैं।

निगरानी पेश करने में हुई देरी के सम्बन्ध में इनका कथन है कि निगरानी 2010 में जारी पट्टे को निरस्त करने हेतु 2022 में पेश की है। धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कथन यांत्रिक रूप से किए गये है जिन्हे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (Civil) संख्या 31248/2018 (PATHAPATI SUBBA REDDY (DIED) BY L.Rs. & ORS. Vs THE SPECIAL DEPUTY COLLECTOR(LA) की नजीर पेश की तथा कथन किया कि देरी को कन्डोन करने का कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

संतोषजनक नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम अस्वीकार किया जावे तथा निगरानी को इसी बिन्दु पर अस्वीकार किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस भी पेश की जो शामिल पत्रावली है जिसकी प्रति निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता को दी गई तथा निगरानी को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर में प्रार्थी के अधिवक्ता ने रिबिटल बहस में कथन किया कि बहस के स्तर पर नये साक्ष्य यथा शपथ पत्र व फोटोग्राफस रिकार्ड पर नहीं लिए जा सकते है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जो FIR दर्ज कराई थी उसमें अंतिम प्रतिवेदन (नेगेटिव) पेश की गई है। पट्टा जारी करने के कानून में निर्धारित प्रकिया नहीं अपनाई गई। धारा 97 पंचायत एक्ट 1994 के तहत निगरानी पेश करने की कोई म्याद तय नहीं है। निगरानी राज्य सरकार या प्राधिकारी कभी भी स्वःप्रेरणा से भी दर्ज कर सकती है तथा अवैध कृत्यों की जांच कर निर्णय पारित करने का उन्हे अधिकार है। अप्रार्थी सख्या 1 ने सिविल कोर्ट में जब वाद दायर किया, मुकदमा हुआ तब प्रार्थीगण आक्षेपित होकर लिटिगेशन में आए है। अवैध कार्यवाही में कोर्ट को सुनना चाहिए। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी वादग्रस्त पट्टा निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की विद्वतापूर्ण बहस पर चिंतन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण ने यह निगरानी पेश कर कथन किया है कि अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या 1, अध्यक्ष बाबा रामदेव सेवा समिति, सोमेसर पंचायत समिति शेरगढ़ जिला जोधपुर के पक्ष में ग्राम पंचायत सोमेसर के तत्कालीन सरपंच श्री आवड़दान व ग्राम सेवक ग्राम पंचायत सोमेसर ने दिनांक 28.12.2010 को पट्टा संख्या–40 बुक संख्या – 29, मिसल संख्या–72 , दायरा तारीख– 05.05.2010, संकल्प संख्या–08 से एक पट्टा से एक पट्टा 60 फीट, 30 फीट, 30 फीट उतरी भुजा, 250 फीट –पश्चिमी भुजा, 150 फीट– दक्षिणी भुजा तथा 125 फीट, 50 फीट, 152 फीट–पूर्वी भुजा का जारी किया गया। पट्टे पर भुजाओ का नाप उपरोक्तानुसार है परन्तु कुल क्षेत्रफल को नक्शे में दर्शित माप अनुसार अंकित है। इस पट्टे की फोटो प्रति मय बुक संख्या 29 मिसल संख्या–72, पट्टा संख्या–22 का नवीनीकरण ग्राम पंचायत सोमेसर का दिनांक 23.02.2018 का नोट भी अंकित है। यह पट्टा फर्जी है उसे निरस्त किया जावे। इस कार्यालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पत्रांक/एडीएम/प्रथम/कोर्ट/2022/528 दिनांक 30.11.2022 से उक्त पट्टा से संबंधित मूल पत्रावली ग्राम पंचायत सोमेसर से मंगवाई गई जिसमें मूल पट्टा संख्या 40, दिनांक 28.12.2010, मूल मिसल संख्या 72/2010 एवं मूल बैठक कार्यवाही रजिस्टर वर्ष 2010-11 शामिल हो। ग्राम पंचायत सोमेसर ने पत्रांक ग्रा.प. सो/2022-23/104 दिनांक 19.12.2022, दिनांक 20.07.2023 से निम्नानुसार प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ-

1. पट्टा संख्या 40 जो दिनांक 28.12.2010 को ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा अप्रार्थी अध्यक्ष बाबा रामदेव सेवा समिति सोमेसर जरिए गणपतराम मेघवाल निवासी सोमेसर को ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है।
2. मूल मिसल संख्या 72/2010 ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है।
3. पट्टा जारी करने से सम्बन्धित कोई बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है।

उक्तानुसार पट्टा व मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण उपरोक्त अभिलेख माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना संभव नहीं है। उक्त पत्र पर सरपंच लिखमाराम व ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार दोनो के हस्ताक्षर है।

प्रार्थीगण का कथन है कि जहां पर उक्त पट्टा सं.40 अध्यक्ष बाबा रामदेव सेवा समिति को जारी किया गया है उसी भूमि पर निम्न विवरण के पट्टे पूर्व में जारी हो चुके थे।

(अ) पट्टा संख्या 36 दिनांक 31.3.1990 को गिरधारी पुत्र शेतान के पक्ष जिसका नाप 30 फीट गुणा 50 फीट (150 वर्गगज) हैं।

(ब) पट्टा संख्या 35 दिनांक 31.3.1990 को रामसिंह पुत्र देवीसिंह के नाम 150 वर्गगज का जारी किया है।

उक्त दोनों पट्टो कि भूमि प्रार्थीगण ने बेचान/इकरारनामा से कय करना बताया तथा इस पर कब्जे को लेकर हुए विवाद के कारण ही विवादित भुमि पर अप्रार्थी-1 के पक्ष में जारी पट्टा सं 40 दिनांक 28.12.2010 को निरस्त करने हेतु यह निगरानी पेश हुई हैं।

प्रार्थी कंवराजसिंह का कथन है कि उसने जरिए बेचान इकरारनामा दिनांक 06.09.2012 (नोटरी से तस्दीक) से गिरधारीसिंह से पट्टा संख्या-36 दिनांक 31.3.1990 की 150 वर्गगज भूमि कय की है।

प्रार्थी -कायमखां का कथन है कि उसने रामसिंह पुत्र देवीसिंह से जरिए बेचाननामा (रजिस्टर्ड) दिनांक 25.01.2005 से 150 वर्गगज भूमि कय की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त पट्टा सं 35 व 36 कि फोटो कापी का अवलोकन किया गया ।

उक्त दोनों पट्टों पर मिसल संख्या व बुक संख्या अंकित्त नहीं है तथा चन्दनसिंह राठौड़ सरपंच व गिरधारी सिंह व रामसिंह के अगूठे के निशान हैं। कंवराजसिंह के पक्ष में निष्पादित अपंजीकृत बेचान इकरारनामा गिरधारीसिंह (दिनांक–06.09.2012)में भी पट्टा रजिस्टर संख्या व मिसल का कालम खाली है। इसी प्रकार कायम खां के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा दिनांक 25.01.2005 में भी पट्टा रजिस्टर संख्या अंकित्त नही है। उक्त दोनो पट्टो पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं है।

अप्रार्थी –1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 40 दिनांक 28.10.2010 को लेकर प्रार्थी कंवराज सिंह ने पुलिस थाना शेरगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 283 दिनांक 24.10.2020 को अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी आई.पी.सी. दर्ज कराई गई है जिसमें उक्त पट्टा के अंतर्गत अतिरिक्त पट्टा संख्या 35 व 36 का जिक्र है।

उक्त पट्टा संख्या 40 दिनांक 28.12.2010 के अतिरिक्त दिनांक 28.12.2010 को जारी पट्टा संख्या 22 मिसल सख्या 143 माधूदान के पक्ष में को भी इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 20 / 2021 (2021 / 48) में पारित आदेश दिनांक 09.11.2022 से निरस्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त दिनांक 28.10.2010 को जारी अन्य पट्टा संख्या 08 मिसल संख्या 189 श्रीमती गुड्डी कवंर के पक्ष में जारी 2222 वर्ग गज का पट्टा भी पंचायत निगरानी संख्या 38 / 2020(2020 / 00102) में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2022 से निरस्त किया जा चुका है।

अप्रार्थी संख्या 1 गणपतराम को सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा जारी पत्र दिनांक 15.02.2018 के अनुसार कंवराज सिंह के पक्ष में कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है तथा इनका कोई कब्जा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर नहीं है। गिरधारी सिंह व राम सिंह के नाम से कोई पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है। न ही इनके पट्टे का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध है। इनका कोई कब्जा नहीं है।

कमें खां व कंवराज सिंह द्वारा आबादी भूमि में फर्जी पट्टे, फर्जी शीले बनाकर जारी किये गये है।

निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत नकल फोटोप्रति दिनांक 30.06.2015 सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना का जवाब द्वारा ग्राम सेवक ग्राम पंचायत सोमेसर के अनुसार वर्ष 2007 से 2011 तक अप्रेल 2012 से मार्च 2013 के बीच ग्राम पंचायत द्वारा कोई आवासीय भूखण्ड आंवटित नहीं किया गया है। प्रार्थी कंवराज सिंह को भेजे गये जवाब अनुसार पट्टा क्रमांक 22 बुक संख्या 29 मिसल संख्या 72 ग्राम पंचायत में नहीं है। [illegible] शेरगढ़ के पत्रांक 45 दिनांक 01.09.2014 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर को प्रेषित के अनुसार ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा वर्ष 2007 से 20.03.2012 तक कोई पट्टे नहीं जारी करना बताया है। [illegible] तेजाराम वैष्णव ग्राम सेवक, गणेश कुमार मीणा ग्राम सेवक, ललित नागोरी ग्राम सेवक से उक्त निष्कर्ष की ताइद होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

श्री गणेश कुमार ने कथन किया है कि वर्ष 2007 से 2013 तक की मेरे कार्यकाल में अगर कोई पट्टा मेरे हस्ताक्षरों से जारी होना बताया जा रहा है तो वह पट्टा फर्जी है तथा मैंने खाली पट्टा बही तेजाराम को चार्ज में दे दी थी। उक्त अवधि में उसने कोई पट्टा जारी नहीं किया है।

अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बहुत बड़े भूखण्ड का पट्टा दिनांक 28.12.2010 को जारी होना आरोपित है जिसका वास्तविक क्षेत्रफल भी अंकित नहीं है। निगरानी कर्ता इसका क्षेत्रफल 24-25 हजार वर्ग गज (वर्ग फीट--) बता रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 एक संस्था है। इतने बड़े भू खण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा संस्था के नाम देने का राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 में प्रावधान ही नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 31.03.1990 को गिरधारी सिंह व राम सिंह के नाम से जारी पट्टो की भूमि क्रय की जाना बताकर अप्रार्थी-1 की भूमि पर हस्तक्षेप करने पर अप्रार्थी 1 द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा व आज्ञात्मक व्यादेश का वाद में माननीय सिविल न्यायाधीश बालेसर द्वारा दीवानी विविध प्रकरण संख्या -10/2020 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 से वाद के निस्तारण तक विवादित स्थल की मौका स्थिति बनाये रखने के आदेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी में पारित किये गये है। उक्त आदेश में अंकित विवरण अनुसार मौका कमिश्नर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी कवंराज सिंह द्वारा मौके पर 51 फीट+47.8 फीट गुणा 40 फीट पर निर्माण कराया जा रहा है, जबकि उसने गिरधारी सिंह से जरिये अपंजीबद्व बेचान इकरारनामा दिनांक 06.09.2012 से 30 गुणा 50 फीट अर्थात 150 वर्ग गज का भूखण्ड क्रय करना बताया है, अर्थात क्रय की गई भूमि की (150 वर्ग गज) सीमा से बहुत अधिक भूमि पर निर्माण कराया जा रहा है।

इसी प्रकार निगरानीकर्ता श्री सुमान खां द्वारा मौके पर 36 फीट + 3 फीट 10 फीट गुणा 49.5 फीट पर निर्माण कराया जा रहा है जबकि उसने जरिये बेचान दस्तावेज दिनांक 25.01.2005 से राम सिंह से मात्र 150 वर्ग गज भूमि क्रय की है। इस प्रकार मौके पर बहुत अधिक भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

निगरानीकर्ता का कथन है कि दिनांक 28.12.2010 को जारी पट्टा संख्या 40 बुक संख्या 29 मिसल संख्या 119 दायर दिनांक 05.05.2010, संकल्प संख्या 04 क्षेत्रफल 554.55 वर्ग गज चून भारती के नाम से सही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 40 बुक संख्या 29 मिसल संख्या 72 कायमी दिनांक 05.05.2010 संकल्प संख्या 8 दिनांक 28.12.2010 फर्जी है तथा दिनांक 23.02.2018 को पट्टा संख्या 22 के रूप में नवीनीकरण फर्जी है। प्रार्थीगण के उक्त कथन विरोधाभासी है। उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं व जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत सोमेसर में वर्ष 2007 से 31.03.2013 तक न तो कोई पट्टा जारी हुआ है तथा ना ही नवीनीकरण हुआ है तो चून भारती का 40 नम्बर का पट्टा दिनांक 28.12.2010 सही कैसे हो गया?

उक्त तथ्यात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि गिरधारी सिंह के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 31.03.1990, जिससे कवंराज सिंह ने अपंजीकृत बेचान इकरारनामा दिनांक 06.09.2012 से क्रय करना बताया है, ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा विधि प्रक्रिया से जारी नहीं किया है तथा फर्जी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

इसी प्रकार राम सिंह के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 31.03.1990 जिससे प्रार्थी कायम खां ने जरिए बेचाननामा दिनांक 25.01.2005 क्रय करना बताया है, वह भी ग्राम पंचायत द्वारा विधि प्रकिया से जारी नहीं किया गया है तथा फर्जी है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत नजीर Suraj Lamp Industries vs State of Haryana AIR 2012 S.C. 206 में प्रतिपादित सिद्वान्त अनुसार अपंजीकृत इकरारनामा से कोई टाइटल क्रेता के पक्ष में हस्तान्तरित नहीं होता है। अतः कंवराज सिंह को हस्तगत इकरारनामा से कोई टाइटल प्राप्त नहीं हो सकता। वैसे भी बेचानकर्ता श्री गिरधारी सिंह के पक्ष में कोई वैध टाइटल था ही नहीं, तो कंवराज सिंह को कोई हक, हकूक, स्वत्व अधिकार गिरधारी सिंह से हस्तान्तरित नहीं हो सकते। ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा कंवराज सिंह को प्लाट प्रमाण पत्र संख्या–36 पर निर्माण करने बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 06.09.2020 को जारी की फोटो प्रति प्रार्थी ने पेश की है तथा कायम खां को प्लाट नम्बर 35 पर निर्माण की अनापत्ति जारी करना बताया है। जिसकी फोटो प्रतियां निगरानी के साथ पेश की है। जिसका जिक निगरानी के पैरा–7 में अंकित है। ग्राम पंचायत की उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र अवैध है जबकि मूल पट्टा धारी गिरधारी सिंह व राम सिंह का पट्टा ही अवैध है तथा ग्राम पंचायत में इनके पट्टे का रिकार्ड ही नहीं है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र किस आधार पर सरपंच ने जारी किया है। इन प्रमाण पत्रों पर जावक नम्बर भी अंकित नहीं है तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव का उल्लेख है। उक्त स्थिति में पंचायत समिति शेरगढ़ के पत्रांक 2814 दिनांक 25.11.2020 से भी स्पष्ट होती है।

अप्रार्थी संख्या 1 अध्यक्ष बाबा रामदेव सेवा समिति सोमेसर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 40 दिनांक 28.12.2010 से संबंधित कोई अभिलेख पत्रावली, कार्यवाही विवरण रजिस्टर, पट्टा की प्रति ग्राम पंचायत सोमेसर में उपलब्ध नहीं है। यह तथ्य ग्राम पंचायत सोमेसर से प्राप्त पत्रांक– 104 दिनांक 19.12.2022 से भलीभांति प्रमाणित है। प्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त पट्टे की जो फोटो कॉपी पेश की है उसके अनुसार यह पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत आवंटी का 50 वर्षो से अधिक पुराने/या उक्त नियम लागू होने की तारीख से 50 वर्षो के दौरान संनिर्मित किया गया है, जारी हुआ है जो 24–25 हजार वर्गफीट का है। नियम 157 में भूखण्ड पर पुराने निर्मित आवासीय भवन होने पर ही 300 वर्गगज तक की भूमि का व्यक्ति आवास हेतु नियमितीकरण हो सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 है, जिसको नियम 157 के तहत आबादी भूमि का नियमितिकरण नहीं किया जा सकता है। नियम 158 के तहत कमजोर वर्गो को रियायती दर पर 2 से 10 प्रतिगज राशि लेकर आवंटन करने का प्रावधान है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को नियम 158 के तहत आवंटन नहीं हो सकता। अप्रार्थी संख्या–1 ने दिनांक 28.12.2010 को जारी पट्टा संख्या 40 का दिनांक 23.2.2018 को रसीद संख्या 71 से रूपये 200/– वसूल कर पट्टे का नवीनीकरण का कथन किया परन्तु पंचायत समिति व ग्राम पंचायत ने स्पष्ट इंकार किया है कि दिनांक 23.02.2018 को ग्राम पंचायत द्वारा राशि वसूल कर पट्टा का नवीनीकरण नहीं किया है। इस बाबत् ग्राम पंचायत में कोई अभिलेख नहीं है न ही कैशबुक में वसूली राशि का इन्द्राज है। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति शेरगढ़ द्वारा पुलिस उप अधीक्षक बालेसर को सम्बोधित पत्रांक/पसशे/2020–21 दिनांक 25.11.2020 में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

तथ्यात्मक रिपोर्ट से (तहसीलदार से प्राप्त) यह भी स्पष्ट है कि मेघवाल समाज/मंदिर की कब्जा भूमि खसरा संख्या 339 गैर मुमकिन गौचर है।

अप्रार्थी संख्या एक ने मंदिर व अन्य निर्माण के फोटोग्राफ व कुछ लोगों के शपथ पत्र, बैंक में खाता संख्या की प्रतिया/संस्था के बैठक की मिटिंग कार्यवाही खनन परिवहन की रॉयल्टी रसीदे, संस्था के अस्तित्व को साबित करने हेतु पेश की परन्तु इनसे कोई अनुतोष अप्रार्थी एक को नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस न्यायालय में समक्ष तथाकथित अप्रार्थी एक के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 40 दिनांक 28.12.2010 की वैधता का परीक्षण करने तक ही सीमित है। पट्टा जारी करने का कार्य संबंधित ग्राम पंचायत/सक्षम प्राधिकारी का है जिनके द्वारा नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन प्राप्त करना, स्थल का निरीक्षण करना, नक्शा रिपोर्ट तैयार करना, निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर तैयार करना, समिति की बैठक में रखना, संकल्प पारित करना, सार्वजनिक नोटिस जारी कर आप्पति प्राप्त कर उनका निस्तारण करना, ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय पारित करना, राशि वसूल करना, पट्टा तैयार कर उसका पंजीयन करना इत्यादि शामिल है।

उक्त प्रकिया अपनाकर अप्रार्थी 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 40 दिनांक 28.12.2010 जारी करने का अभिलेख ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है तथा ग्राम पंचायत व पंचायत समिति शेरगढ़ ने उक्त पट्टा जारी करने से स्पष्ट इंकार किया है तथा इस बाबत् कोई अभिलेख तैयार करने से ही इंकार किया है तथा पट्टा संख्या 40 दिनांक 28.12.2010 को अप्रार्थी के नाम फर्जी तरीके से जारी करना जाहिर किया है तथा जिस जगह पर जारी किया है व भूमि भी गैर मुमकिन गौचर है। गौचर भूमि पर ग्राम पंचायत को कोई पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अगर अप्रार्थी–एक का गौचर भूमि पर कब्जा है भी तो भी उसके पक्ष में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता अगर तत्कालीन सरपंच ने बाले–बाले अपने स्तर से निर्धारित प्रकिया अपनाये बिना यह विवादित पट्टा जारी कर भी दिया है तो भी वह कानूनी रूप से शून्य है। ऐसे शून्य व फर्जी दस्तावेजों से अप्रार्थी–एक को कोई हक स्वत्व अधिकारों का सृजन नहीं हो सकता तथा ऐसे अवैध पट्टो को कभी भी धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी किसी के प्रार्थना पत्र पर या स्वःप्रेरणा से विधिक प्रकिया अपनाकर अपास्त कर सकता है। ऐसे अवैध पंजीकृत पट्टो को भी बिना सिविल कोर्ट में वाद दायर किये कभी भी निरस्त किया जा सकता है। प्रतिकूल कब्जा का सिद्वान्त ऐसे प्रकरणों में लागू नहीं होता है। अतः अप्रार्थी–एक द्वारा निगरानी 12 वर्ष बाद पेश करने व देरी से पेश करने के कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Pathapati subba Reddy में पारित व्यवस्था इस प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर लागू नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त विश्लेषण, विवेचन एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सोमेसर पंचायत समिति शेरगढ़ के द्वारा जारी बताया गया फर्जी पट्टा संख्या 40 बुक संख्या 29 मिसल संख्या 72 संकल्प संख्या 3 दिनांक 5.5.2010 पट्टा जारी दिनांक 28.12.2010 बहक अध्यक्ष बाबा रामदेव समिति सोमेसर को निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(A) इसके अतिरिक्त पट्टा संख्या 40 बुक संख्या 29 संकल्प संख्या 4 मिसल संख्या 119 (दायर 5.5.2010) जारी दिनांक 28.12.2010 बहक श्री चून भारती पुत्र श्री हजार भारती निवासी– सोमेसर को भी निरस्त करने हेतु निगरानी एक माह में पेश करने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति शेरगढ़ को आदेशित किया जाता है।

(B) इसके अतिरिक्त रामसिंह पुत्र देवीसिंह रावणा राजपूत के पक्ष में दिनांक 31.03.1990 को जारी 150 वर्गगज का पट्टा संख्या 35 जिसका बेचान दिनांक 25.01.2005 को कमेखां के पक्ष में किया गया है तथा श्री गिरधारी सिंह पुत्र शैतान सिंह रावणा राजपूत के पक्ष में दिनांक 31.03.1990 को जारी 150 वर्गगज की भूमि का पट्टा संख्या 36 (जिसे बेचने का इकरारनामा दिनांक 06.09.2012 को कंवराजसिंह पुत्र नरपत सिंह के पक्ष में बताया है) को निरस्त करने हेतु निगरानी एक माह में पेश करने हेतु विकास अधिकारी शेरगढ़ को आदेशित किया जाता है। उक्त दोनों पट्टे ग्राम सोमेसर की भूमि के है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति शेरगढ़ व ग्राम पंचायत सोमेसर व तहसीलदार शेरगढ़ को निर्देशित दिये जाते है कि इस प्रकरण में एक सिविल वाद सिविल न्यायालय बालेसर में गणपत राम बनाम कंवरराज सिंह वगैरा सन् 2022 लंबित है जिसमें ग्राम पंचायत को अगर पक्षकार नहीं बनाया है तो पक्षकार बनने की कार्यवाही करे तथा सरकार की ओर से न्यायालय में पक्ष पेश करे। उक्त आदेश की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति शेरगढ़, ग्राम पंचायत सोमेसर, तहसीलदार शेरगढ़ को कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:53:43 IST
Reason: SelfAttested

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर